

प्रथम अध्याय

राज्य शासन के वित्त

1 छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन द्वारा नवम्बर 2000 में अस्तित्व में आया, जिसका क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किमी है। यह भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का 10वां और जनसंख्या (2.55 करोड़ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या में 2001

2.08 करोड़ थी जो 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 47.90¹ था जो अखिल भारत के औसत 29.50 से ज्यादा था। वर्ष 2015–16 में राज्य का वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,51,447.14 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 70.28 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) हो गया जो अखिल भारत के औसत 73.00 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से कम था। वर्ष 2015–16 के दौरान, वर्तमान मूल्यों पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 81,756 अनुमानित था। राज्य से संबंधित सामान्य ऑकड़े परिशिष्ट 1.1 (भाग–अ) में दर्शाये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जो राज्य में उत्पादन गतिविधियों के कुल मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद ² (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ² (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 ^{पी}	2,36,318 ^{क्यू}	2,51,447 ^ए
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	12.30	16.49	14.28	6.40

(स्रोत: सार्थिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

(ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान)


वर्ष 2015–16 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.40 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो 14वें वित्त आयोग में किए गए प्रावधान (14.42 प्रतिशत) से कम है।

¹ योजना आयोग (जून–2014), गरीबी की माप के लिए क्रियाविधि की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) के प्रतिवेदन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे।

² आधार वर्ष 2004–05 से 2011–12 में परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2011–12 से 2014–15 के जीडीपी और जीएसडीपी के अनुमान संशोधित हो गये हैं।


वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की तुलना चार्ट 1.1 में दर्शायी गई है।



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम था उसके बाद वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक था। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम था।

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार संरचना को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि द्वितीयक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर प्रभावकारी योगदान रहा जो वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद

का 39.22 प्रतिशत रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के शेष 60.78 प्रतिशत में, 19.01 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र, 35.15 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र एवं 6.62 प्रतिशत उत्पाद कर—उत्पादन सम्बिंदी का योगदान था।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्व वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेखे के आधार पर किया गया है। शासन के लेखे की संरचना एवं रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 (ब) में दर्शायी गई है और वित्त लेखे की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 भाग (स) में दर्शायी गई है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनायी गई पद्धति का वर्णन परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है। राज्य शासन के वित्त के विगत पाँच वर्षों के समयबद्ध आँकड़े परिशिष्ट 1.3 में दिये गये हैं।

1.1.1 वर्ष 2015–16 में राजकोषीय लेन देन का सारांश

तालिका 1.2, पिछले वर्ष (2014–15) के सापेक्ष चालू वर्ष (2015–16) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन—देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि परिशिष्ट 1.4 (भाग अ एवं ब) चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2015–16 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण						
	अनुभाग अ—राजस्व	2014–15	2015–16	अनुभाग अ—राजस्व	2014–15	आयोजनेत्तर	आयोजना
राजस्व प्राप्तियाँ	37,988.01	46,067.71	राजस्व व्यय	39,561.29	23,172.02	20,529.04	43,701.06
स्वयं के कर राजस्व	15,707.26	17,074.86	सामान्य सेवाएं	9,041.58	10,348.93	59.83	10,408.76
कर भिन्न राजस्व	4,929.91	5,214.79	सामाजिक सेवाएं	15,388.85	5,885.62	10,453.73	16,339.35
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	8,363.03	15,716.47	आर्थिक सेवाएं	14,152.22	6,037.06	10,015.48	16,052.54
भारत सरकार से अनुदान	8,987.81	8,061.59	सहायता अनुदान/अंशदान	978.64	900.41	0.00	900.41
अनुभाग ब—पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.03	2.84	पूँजीगत व्यय	6,544.25	1.96	7,943.05	7,945.01
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	194.86	296.39	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	88.32	—	—	164.73
अंतर्राजीय समायोजन	0.91	0.52	अंतर्राजीय समायोजन	1.22	—	—	0.49
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,439.67	7,251.15	लोक ऋण अदायगी	1,336.73	—	—	1,250.18
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	0.00	—	—	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	51,321.89	55,059.09	लोक लेखा संवितरण	49,933.47	—	—	54,000.89
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,735.29	1,218.38	अंतिम रोकड़ शेष	1,218.38	—	—	2,833.72
योग	98,683.66	1,09,896.08	योग	98,683.66	—	—	1,09,896.08

(स्रोत: राज्य शासन के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों (₹ 46,068 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 37,988 करोड़) से ₹ 8,080 करोड़ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में केंद्रीय कर अंतरण में ₹ 7,353 करोड़ (87.92 प्रतिशत) की वृद्धि, स्वयं के कर राजस्व में ₹ 1,368 करोड़ (8.71 प्रतिशत) तथा करेतर राजस्व में ₹ 285 करोड़ (5.78 प्रतिशत) की वृद्धि थी। भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 926 करोड़ (10.31 प्रतिशत) की कमी हुई।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्वयं के कर राजस्व (₹ 20,872 करोड़) तथा करेतर राजस्व (₹ 5,324 करोड़) के नियामक आंकलन के विरुद्ध राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति कमशः ₹ 17,075 करोड़ (81.81 प्रतिशत) तथा ₹ 5,215 करोड़ (97.95 प्रतिशत) थी। इस प्रकार स्वयं के कर में 14वें वित्त आयोग के नियामक आंकलन के सापेक्ष महत्वपूर्ण कमी हुई जबकि करेतर राजस्व के संग्रहण में 14वें वित्त आयोग के आंकलन के सापेक्ष आंशिक कमी हुई।
- राजस्व व्यय में वर्ष 2014–15 ₹ 39,561 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 43,701 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई जिसका कारण पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं में कमशः ₹ 1,367 एवं ₹ 951 करोड़ की वृद्धि थी। यद्यपि राजस्व व्यय ₹ 53,730 करोड़ के बजट अनुमान से 18.67 प्रतिशत कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में पूंजीगत व्यय में ₹ 1,401 करोड़ (21.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण परिवहन (₹ 478 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 264 करोड़), शिक्षा, कला एवं संस्कृति (₹ 236 करोड़) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 198 करोड़) विभागों में वृद्धि थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2014–15 के वृद्धि ₹ 2,508 करोड़ (63.78 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 811 करोड़ (12.60 प्रतिशत) की कमी हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां एवं वितरण में कमशः ₹ 3,737 करोड़ (7.28 प्रतिशत) एवं ₹ 4,067 करोड़ (8.15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन–देन के निबल प्रभाव के कारण विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के अंत तक रोकड़ शेष में ₹ 1,615 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.1.2. राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (एफआरबीएम अधिनियम), सितंबर 2011 एवं उसके बाद मई 2016 में संशोधित, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, दक्षपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ राजकोषीय स्थिरता तथा शासन के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

राज्य शासन ने मई 2016 में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2016 पारित किया। अधिनियम के अनुसार राज्य शासन, नियमानुसार, वित्त आयोग द्वारा राज्य के एफआरबीएम अधिनियमों के लिए सूझाये गये वित्तीय नियमों का विशेष रूप से उल्लेखित करेगा।

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वित्त आयोग) द्वारा अपने निर्धारित अवधि के दौरान राज्यों के राजकोषीय संस्थापन रूपरेखा, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य एवं वार्षिक उधार की सीमा विहित किया गया जैसा कि नीचे संख्यांकित है:

- i) सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा के नींव पर होंगे। राज्यों को इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं निर्धारित की जानी हैं, यदि उनका ऋण—जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर रहा हो, तो 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होंगे।
- ii) राज्य उक्त वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं निर्धारित की जानी हैं, यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर रहा हो, तो जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होंगे।
- iii) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत राज्य ऊपर इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं, या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदंड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदंडों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ पूरा करने पर। अतः किसी एक साल के लिए किसी राज्य का अधिकतम राजकोषीय जीएसडीपी घाटा 3.50 प्रतिशत तक हो सकता है।
- iv) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के तहत अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं निर्धारित की जानी हैं और उसके पिछले वर्ष में उन्हें कोई राजस्व घाटा नहीं था।
- v) यदि कोई राज्य निर्धारित अवधि के पहले चार वर्षों (वर्ष 2015–16 से 2018–19) के दौरान किसी भी वर्ष में जीएसडीपी के तीन प्रतिशत सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृति उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है, तो राज्य के पास केवल अगले वर्ष में (परन्तु अवार्ड अवधि के दौरान) इस अनुप्रयुक्त उधार सीमा (जिसका रूपयों में गणना किया गया है) को प्राप्त करने का विकल्प होगा।

वर्ष 2015–16 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसाकि राज्य के एफआरबीएम अधिनियम, एमटीएफपी, 14वें वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.3: वर्ष 2015–16 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	2015–16				
	14वें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में प्रस्तावित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	एमटीएफपीएस में प्रावधान	वास्तविक
राजस्व घाटा (–) आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	(+)4,226.64	(+)4,226.64	(+)2,366.65
राजकोषीय घाटा(–) / आधिक्य (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	(–)6,835.66	(–)6,835.66	(–)4,573.71 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.82 प्रतिशत)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण	13.73	13.73	बजट में उल्लेखित नहीं	16.09	15.04

(स्रोत: एफआरबीएम अधिनियम दस्तावेज, 14वें वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज एवं राज्य वित्त लेखे 2015–16)

जैसा कि तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 2,366.65 करोड़ था और 14वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम द्वारा निर्धारित राजस्व

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त किया। यद्यपि राजस्व आधिक्य, बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में किये गये प्रावधान से 44.01 प्रतिशत कम था।


वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 4,574 करोड़) वर्ष 2014–15 में ₹ 8,008 करोड़ से ₹ 3,434 करोड़ कम हो गया जिसका मुख्य कारण वर्ष 2014–15 में ₹ 1,573 करोड़ की राजस्व घाटा की स्थिति से स्थानांतरित होकर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व आधिक्य होना एवं पूंजीगत व्यय का वर्ष 2014–15 में ₹ 6,544 करोड़ से ₹ 1,401 करोड़ बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 7,945 करोड़ होना था। इसके बावजूद वर्ष 2015–16 के दौरान, राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 1.82 था जो 14वें वित्त आयोग के प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित 3.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 15.04 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम लक्ष्य (13.73 प्रतिशत) से अधिक तथा एमटीएफपीएस (16.09 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविकताएँ

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट अभिलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के प्रयोजनों एवं अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में, राजस्व एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से जिनमें से कुछ शासन के नियंत्रण में हैं तथा कुछ नियंत्रण के बाहर हैं, की अप्राप्ति तथा अनुप्रयोग को इंगित करता है। वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति का विवरण परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3 वर्ष 2015–16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।



ऊपर दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर, राज्य शासन के बजट अनुमान से कम था।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में ₹ 11,889 करोड़ (20.51 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान से स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व में ₹ 3,011 करोड़ (14.99 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 4,933 करोड़ (37.96 प्रतिशत) की कम प्राप्ति थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 10,029 करोड़) में कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं में ₹ 4,946 करोड़ (23.24 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवाओं में ₹ 4,703 करोड़ (22.66 प्रतिशत) की कमी थी।

राज्य का वास्तविक पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 3,055 करोड़ (27.77 प्रतिशत) कम था। इसका मुख्य कारण आर्थिक सेवाओं में ₹ 2,394 करोड़ (29.30 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं में ₹ 678 करोड़ (27.27 प्रतिशत) का कम व्यय था, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, बजट अनुमान में निर्धारित ₹ 4,226.64 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,366.65 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ। राजकोषीय घाटा ₹ 6,836 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तविक ₹ 4,574 करोड़ था। प्राथमिक घाटा ₹ 4,754 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तविक ₹ 2,425 करोड़ था, जो अच्छे राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है।

1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत उन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय को दर्शाता है, जो महिलाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। राज्य द्वारा जेण्डर बजट का पृथक भाग बजट (2015–16) के साथ प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित बजट प्रावधान का उल्लेख किया गया। जेण्डर बजट अभिलेख के अनुसार, जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो वर्गों में विभक्त किये गये थे—(1) वे योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे, तथा (2) वे योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2015–16 के दौरान, महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभार्थ 16 विभागों³ में (वर्ग—1:23 योजनाएं एवं वर्ग—2:101 योजनाएं) बजट प्रावधान किये गये थे।

वर्ग (1) के लिए 23 योजनाओं के संदर्भ में जेण्डर बजट दस्तावेज के अनुसार बजट अनुमानों का विवरण, विनियोग लेखे के अनुसार निधि का प्रावधान तथा वास्तविक व्यय के विवरण परिशिष्ट 1.6 में दिये गये हैं।

- वर्ष 2015–16 के जेण्डर बजट के अनुसार, जेण्डर बजट दस्तावेजों में 23 योजनाओं हेतु ₹ 1,049.56 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया था। यद्यपि, राज्य शासन के द्वारा ₹ 619.47 करोड़ (59 प्रतिशत) मूल बजट उपलब्ध कराया गया जिसके विरुद्ध ₹ 619.49 करोड़ का व्यय किया गया था।

- वर्ष 2015–16 के दौरान बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ₹ 8.50 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान योजना का चलन में नहीं होने एवं भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण सर्वपण किया गया। इस शीर्ष में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी बचत हुआ था। यद्यपि 31 मार्च 2016 को इस शीर्ष के संपूर्ण प्रावधान को समर्पित किया गया तथापि ₹ 0.01 करोड़ का व्यय किया गया जो कि अप्राधिकृत था।

वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा परिणामी बजट प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें जेण्डर संबंधित विभिन्न गतिविधियां के विरुद्ध मात्रात्मक प्रदेयों के वर्णित होने के बावजूद, नोडल विभाग के द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनिटर नहीं किया गया और न ही मॉनिटर

³ कृषि विभाग, पशु–पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, स्कूल शिक्षा, सामाजिक कल्याण विभाग, खेलकूद एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, ग्राम औद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।

हेतु किसी विशेष सेल का गठन किया गया। वर्ष के दौरान राज्य के किसी भी एजेंसी के द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूँजी, प्राप्तियों के दो धाराएं हैं जिनमें राज्य शासन के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे—विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में संवितरण के पश्चात् उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी शासन अपने घाटे के वित्तीय पूर्ति के लिये करता है। तालिका 1.2 (पृष्ठ क्रमांक 3) वर्ष 2015–16 में राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों, जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है, को प्रस्तुत करता है। चार्ट 1.4 में वर्ष 2015–16 में राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उप-घटकों को प्रदर्शित करने वाला फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना का चित्रण करता है।


चार्ट 1.4: राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उपघटकों का फ्लोचार्ट

(₹ करोड़ में)





(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16)

चार्ट 1.5 अवधि 2011–16 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



चार्ट 1.6 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के संरचना को उल्लेखित करता है और चार्ट 1.7 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए प्राप्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



चार्ट 1.4 से चार्ट 1.7 में यह देखा जा सकता है कि:


- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 28,798 करोड़ से ₹ 25,879 करोड़ (89.86 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 54,677 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹ 20,201 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 5,841 करोड़ की वृद्धि थी। यद्यपि शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों में ₹ 163 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2011–16 के दौरान, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा।
- शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियाँ वर्ष 2014–15 में ₹ 1,388 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 1,058 करोड़ हो गया।


1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिसे विवेचनात्मक के रूप में स्वीकार किया गया था और ये निधियाँ राज्य के बजट/राज्य कोष प्रणाली से संचरित नहीं होते थे। इसलिए, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था। अतएव, वार्षिक वित्त लेखा राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा 01.04.2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया है, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित राशि वर्ष 2014–15 में ₹ 335.65 करोड़ से ₹ 130.65 करोड़ (38.92 प्रतिशत) बढ़ा कर वर्ष 2015–16 में ₹ 466.30 करोड़ कर दिया गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 14, शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। अवधि 2011–16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की संरचना तथा प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 एवं चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है और राजस्व प्राप्तियों की संरचना का प्रतिशत चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में (₹ 20,201 करोड़: 78.10 प्रतिशत) वर्ष 2011–12 में ₹ 25,867 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 46,068 करोड़ की प्रगामी वृद्धि देखी गई जबकि अवधि 2011–16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.36 एवं 21.27 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। पिछले वर्ष में ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 2015–16 में ₹ 8,080 करोड़ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण स्वयं के कर राजस्व में ₹ 1,368 करोड़, करेत्तर राजस्व में ₹ 285 करोड़ तथा संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्सेदारी में ₹ 7,353 करोड़ की वृद्धि थी।
- वर्ष 2015–16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन जिसमें कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल हैं, से प्राप्त हुआ जबकि शेष 52 प्रतिशत में केंद्रीय कर हस्तांतरण (34 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान (18 प्रतिशत) का सम्मिलित योगदान रहा।
- कर राजस्व में 8.71 प्रतिशत, करेत्तर राजस्व में 5.78 प्रतिशत एवं भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 87.92 प्रतिशत की वृद्धि तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 10.31 प्रतिशत की कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कुल 21.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.4 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	25,867	29,578	32,050	37,988	46,068
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर	13.86	14.35	8.36	18.53	21.27
राज्य के स्वयं के कर	10,712	13,034	14,343	15,707	17,075
राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर	18.96	21.68	10.04	9.51	8.71
सकल राज्यघरेलू उत्पाद ⁴ (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 ^{पी}	2,36,318 ^{क्यू}	2,51,447 ^ए
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	—	12.30	16.49	14.28	6.40
राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.36	16.66	15.50	16.07	18.32

⁴ अवधि 2011–12 से 2014–15 के जीएसडीपी अनुमान पुनरिक्षीत हुए हैं जिस कारण पिछले प्रतिवेदनों में उक्त अवधि के जीएसडीपी के सापेक्ष विभिन्न परिमाप के आकड़े भी पुनरिक्षीत हुए हैं। यह आकड़े वर्ष 2011–12 में ₹ 1,44,112 करोड़ वर्ष 2012–13 में ₹ 1,65,641 करोड़, वर्ष 2013–14 में ₹ 1,85,682 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में ₹ 2,10,192 करोड़ थे। |


उत्प्लावकता अनुपात ⁵					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	—	1.17	0.51	1.30	3.32
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता	—	1.76	0.61	0.67	1.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)
(ए–अग्रिम अनुमान, ग्रूप–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान)

- राजस्व उत्प्लावकता, जो सीधे राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपाती है, अस्थिर प्रवृत्ति दर्शायी तथा 0.51 एवं 3.32 के मध्य रहा। यह 2015–16 में अपने उच्चतम स्तर 3.32 पर रहा जिसका कारण पिछले वर्ष (18.53 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (21.27 प्रतिशत) में वृद्धि था। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का कारण वर्ष 2015–16 में ₹ 15,716.47 करोड़ के संघीय कर का अंतरण में वृद्धि था जो कि वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 8,363.03 करोड़ था।


- इसी प्रकार, राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता भी अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाती है, जो वर्ष 2012–13 में अपने उच्चतम स्तर 1.76 पर थी और 2013–14 में कम होकर 0.61 हो गई तथा उसके बाद वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़ कर 1.36 हो गई, जिसके कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता भी 0.61 से 1.76 के बीच अस्थिर रही।

चार्ट 1.10 कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर वृद्धि के बावजूद राजस्व के वृद्धि की दर के अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है एवं **चार्ट 1.11** उत्प्लावकता अनुपात के प्रवृत्ति को दर्शाता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

⁵ उत्प्लावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है। उदाहरणार्थ—यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक प्रतिशत बढ़ता है, तो राजस्व उत्प्लावकता 0.6 प्रतिशत इंगित करती है।



सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्पादनता में रिथर वृद्धि देखी गयी, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व उत्पादनता वर्ष 2013-14 में घटा एवं उसके बाद वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान बढ़ता हुआ प्रवृत्ति दिखाया जो इस बात का द्योतक है कि स्वयं के कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान रूप से नहीं बढ़ रहा है।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के हिस्सों का निर्धारण होता है, संसाधनों के संग्रहण में गति प्रदान हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा करेतर स्रोत शामिल है, के संबंध में किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेतर प्राप्तियों का 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के विरुद्ध तुलनात्मक विवरण तालिका 1.5 एवं तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर राजस्व तथा करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एफआरबीएम प्रकटीकरण	वास्तविक
राज्य के स्वयं का कर राजस्व	20,872	20,086	20,086	17,075
राज्य का करेतर राजस्व	5,324	8,663	8,663	5,215

(स्रोत: वित्त लेखे 2015-16, एफआरबीएम दस्तावेज, बजट अभिलेख तथा 14वें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

तालिका 1.6: वर्ष 2011-16 के दौरान कर/करेतर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्वयं का कर राजस्व	10,712	13,034	14,343	15,707	17,075
वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.96	21.68	10.04	9.51	8.71
करेतर राजस्व	4,058	4,616	5,101	4,930	5,215
वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.81	13.74	10.51	(-)3.35	5.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

कर तथा करेतर राजस्व की वृद्धि की दर को नीचे चार्ट 1.12 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व, 14वें वित्त आयोग (₹ 20,872 करोड़), एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 20,086 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 20,086 करोड़) से कम था। बजट अनुमान के विरुद्ध कम उपलब्धि का मुख्य कारण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहन पर कर, भू—राजस्व एवं विद्युत शुल्क पर कर का कम संग्रहण था।

इन मर्दों के अंतर्गत बजट अनुमान के विरुद्ध वास्तविक संचयन क्रमशः 12.21 प्रतिशत, 19.00 प्रतिशत, 27.85 प्रतिशत, 4.03 प्रतिशत, 26.76 प्रतिशत एवं 1.94 प्रतिशत कम था (परिशिष्ट 1.5)।

इसी तरह, राज्य का करेतर राजस्व बजट अनुमान एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण से ₹ 3,448 करोड़ (39.80 प्रतिशत) तथा 14वें वित्त आयोग के औंकलन से ₹ 109 करोड़ (2.05 प्रतिशत) कम था।

1.3.1.1 कर राजस्व


विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है एवं कर राजस्व का प्रतिशत संरचना चार्ट 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व का घटक

स्वयं के कर राजस्व घटक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2014–15 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,006	6,929	7,930	8,429	8,908	5.68
राज्य आबकारी	1,597	2,486	2,549	2,892	3,338	15.42
वाहन पर कर	502	592	651	703	829	17.92
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	846	952	990	1,023	1,185	15.84
भू—राजस्व	271	234	226	332	364	9.64
माल एवं यात्रियों पर कर	826	954	945	982	1,040	5.91
अन्य कर ⁶	664	887	1,052	1,346	1,411	4.83
योग	10,712	13,034	14,343	15,707	17,075	8.71
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.96	21.68	10.04	9.51	8.71	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶ अन्य कर—होटल प्राप्तियाँ, आय एवं व्यय पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सेवाओं एवं सामग्रियों पर कर एवं शुल्क।



वर्ष 2015–16 के दौरान कुल कर राजस्व में 52 प्रतिशत भागीदारी बिक्री, व्यापार आदि पर कर का एवं 20 प्रतिशत भागीदारी राज्य आबकारी था और अन्य सभी करों का सम्मिलित योगदान 28 प्रतिशत था। राज्य का कर राजस्व वर्ष 2011–12 में ₹ 10,712 करोड़ से ₹ 6,363 करोड़ (59.40 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 17,075 करोड़ हो गया। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व की भागीदारी वर्ष 2014–15 में 41 प्रतिशत से कम होकर 2015–16 में 37 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011–12 के दौरान कर राजस्व का वृद्धि दर 18.96 प्रतिशत था तथा उसके बाद वर्ष 2012–13 में 21.68 प्रतिशत से लगातार कमी होकर 2015–16 में 8.71 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष (₹ 15,707 करोड़) की तुलना में 2015–16 (₹ 17,075 करोड़) के दौरान कर राजस्व में ₹ 1,368 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 479 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 446 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 126 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 60 करोड़) एवं भू-राजस्व (₹ 32 करोड़) प्राप्ति में वृद्धि था।

1.3.1.2 करेतर राजस्व


अवधि 2011–16 के दौरान करेतर राजस्व प्राप्तियों के घटकों का विस्तृत विवरण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है तथा करेतर राजस्व में इन घटकों की प्रवृत्ति एवं करेतर राजस्व की प्रवृत्ति को क्रमशः चार्ट 1.14 एवं चार्ट 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: करेतर राजस्व की संरचना


राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
व्याज प्राप्तियाँ	216.57	243.13	380.90	171.89	108.23	(-)37.04
लाभांश एवं लाभ	0.46	2.19	14.21	0.86	5.73	566.28
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	3,841.45	4,370.63	4,706.06	4,757.16	5,100.83	7.22
कुल करेतर राजस्व	4,058.48	4,615.95	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे) लाभांश एवं लाभ की राशि बहुत कम होने के कारण नहीं दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल करेतर राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 4,058 करोड़ से ₹ 1,157 करोड़ (28.51 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 5,215 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष से 2015–16 के दौरान, करेतर राजस्व में 5.78 प्रतिशत (₹ 285 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों में ₹ 137 करोड़, वृहत सिंचाई से प्राप्तियों में ₹ 91 करोड़, वन एवं वन्य प्राणी से प्राप्तियों में ₹ 61 करोड़ की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों में करेतर राजस्व की भागीदारी वर्ष 2014–15 में 13 प्रतिशत के विरुद्ध 2015–16 में 11 प्रतिशत था।

वर्ष 2015–16 के दौरान रोकड शेष निवेश में कमी के कारण व्याज में कमी के कारण व्याज प्राप्तियाँ 2014–15 में ₹ 172 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 108 करोड़ हो गया। अवधि 2011–16 के दौरान लाभांश एवं लाभ में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो ₹ 0.46 करोड़

से ₹ 14.21 करोड़ के मध्य रहा। यद्यपि, अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियाँ 2011–12 में ₹ 3,841 करोड़ से ₹ 1,260 करोड़ (32.80 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 के दौरान ₹ 5,101 करोड़ हो गया।

कुल करेतर राजस्व (₹ 5,215 करोड़) में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 3,710 करोड़) का योगदान 71.14 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों का करेतर राजस्व (₹ 137 करोड़) की वृद्धि 3.83 प्रतिशत थी।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किये गये व्यय तालिका 1.9 में दिये गये हैं।

तालिका 1.9: करों एवं शुल्कों के संग्रहण का लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2011–12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
	2012–13	6,928.65	37.42	0.54	0.83
	2013–14	8,894.01	41.40	0.47	0.73
	2014–15	8,428.61	48.55	0.58	0.88
	2015–16	8,908.36	50.81	0.57	0.91
वाहन पर कर	2011–12	502.19	10.00	1.99	3.71
	2012–13	591.75	10.73	1.81	2.96
	2013–14	655.35	7.48	1.14	4.17
	2014–15	703.48	12.42	1.77	6.25
	2015–16	829.22	12.86	1.55	6.08
राज्य आबकारी	2011–12	1,596.97	52.06	3.26	3.05
	2012–13	2,485.68	46.63	1.88	2.98
	2013–14	2,578.19	53.22	2.06	2.96
	2014–15	2,892.45	59.74	2.07	1.81
	2015–16	3,338.40	58.79	1.76	2.09
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2011–12	845.82	20.75	2.45	1.60
	2012–13	951.65	17.27	1.81	1.89
	2013–14	989.35	13.87	1.40	3.25
	2014–15	1,023.33	27.00	2.64	3.37
	2015–16	1,185.22	25.14	2.12	3.59

(स्रोतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

तालिका 1.9 से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट, राज्य आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर कर तथा वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। वर्ष 2015–16 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट, वाहनों पर कर, राज्य आबकारी तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम था।

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

आयोजनेतर, राज्य आयोजना, केन्द्र आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्ति तालिका 1.10 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त घटकवार सहायता अनुदान


(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आयोजनेतर अनुदान	1,545.07	1,227.29	1,415.78	1,568.28	2,328.79
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,930.51	2,112.69	2,121.47	6,435.44	4,775.83
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	61.75	107.28	43.34	131.73	91.37
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	1,238.88	1,263.07	1,145.57	852.35	865.60
योग	4,776.21	4,710.33	4,726.16	8,987.80	8,061.59
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	7.24	(–)1.38	0.34	90.17	(–)10.31
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	18.46	15.93	14.75	23.66	17.50
राजस्व प्राप्तियाँ	25,867	29,578	32,050	37,988	46,068

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 8,062 करोड़ रहा जो 2014–15 में ₹ 8,988 करोड़ (10.31 प्रतिशत) से कम था।
- भारत सरकार से आयोजनेतर अनुदान वर्ष 2014–15 में ₹ 1,568 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,329 करोड़ हो गया।
- राज्य आयोजना अनुदान वर्ष 2014–15 में ₹ 6,435 करोड़ से कम होकर वर्ष 2015–16 में ₹ 4,776 करोड़ हो गया जिसका कारण ब्लॉक अनुदान में तेजी से ₹ 3,455 करोड़ कमी थी। यद्यपि, अन्य अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 1,690 करोड़ की वृद्धि हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 में केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं में ₹ 40 करोड़ की कमी हुई तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान में ₹ 13 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की भागीदारी वर्ष 2014–15 में 23.66 प्रतिशत के विरुद्ध 2015–16 में 17.50 प्रतिशत था।

वर्ष 2015–16 के दौरान सहायता अनुदान के संरचना को चार्ट 1.16 में दर्शाया गया है।




1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों यथा निगम कर, आय कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि में राज्य सरकार को हिस्सा हस्तांतरण करती है। इन केंद्रीय कर अंतरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दर्शायी गई है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान संरचना को चार्ट 1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: केंद्रीय कर अंतरण की प्रवृत्ति

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
निगम कर	2,487.79	2,592.61	2,650.20	2,920.41	4,950.08
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर	1,263.69	1,552.15	1,745.08	2,085.45	3,455.09
धन पर कर	9.60	4.38	7.28	7.88	0.92
सीमा शुल्क	1,095.85	1,199.39	1,285.73	1,352.54	2,504.03
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	709.12	815.11	908.08	763.73	2,069.99
सेवा कर	754.39	1,053.96	1,283.85	1,232.95	2,727.11
अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.07	9.25
योग	6,320.44	7,217.60	7,880.22	8,363.03	15,716.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



वर्ष 2015–16 के दौरान, केंद्रीय कर अंतरण वर्ष 2014–15 के ₹ 8,363 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15,716 करोड़ हो गया। राज्य का केंद्रीय कर अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में राज्य शासन को आबंटित निवल आय में वृद्धि के कारण ₹ 7,353 करोड़ (87.92 प्रतिशत) बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 2,030 करोड़), सेवा कर (₹ 1,494 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त अन्य करों पर कर (₹ 1,370 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 1,306 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 1,151 करोड़) में वृद्धि के कारण था। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में धन पर कर में तेजी से ₹ 6.96 करोड़ (88.32 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण का मुख्य अवयव निगम कर (31.50 प्रतिशत) तथा न्यून अवयव धन पर कर (0.0059 प्रतिशत) था जैसा कि चार्ट 1.17 में दर्शाया गया है।

1.3.5 तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

राज्य सरकारों के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु, 13वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा की तथा 14वें वित्त आयोग ने राज्य को राजस्व घाटा, स्थानिय निकाय एवं संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए अनुदानों की अनुशंसा की। वित्त लेखे 2015–16 के विवरण क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य शासन ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 968.30 करोड़ (₹ 718.57 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत–वित्त आयोग अनुदान तथा ₹ 249.73 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–109–राज्य आपदा उन्मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान) प्राप्त किया।

वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की अनुदान की उपयोगिता की स्थिति तालिका 1.12 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.12: वर्ष 2015–16 में 13वें एवं 14वें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एवं नामावली	कुल बजट प्रावधान	स्थिति				अनुपयोगी राशि का प्रतिशत
		समर्पण	व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	कुल अनुपयोगी राशि	
1	2	3	4	5	6=3+5	7
चौदहवें वित्त आयोग						
राजस्व लेखे						
2217—शहरी विकास	152.39	-76.19	144.76	68.56	-7.63	5.01
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	566.18	0.00	566.18	0.00	0.00	0.00
कुल योग	718.57	-76.19	710.94	68.56	-7.63	
तेरहवें वित्त आयोग						
राजस्व लेखे						
2055—पुलिस	0.23	-0.14	0.00	-0.09	0.23	100
2205—कला एवं संस्कृति	7.25	-0.92	6.33	0.00	0.92	13
2217—शहरी विकास	0.00	-68.56	0.00	0.00	68.56	..
2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	25.00	-17.29	7.29	-0.42	17.71	71
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	254.99	0.00	254.49	-0.50	0.50	0.2
2810—नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0
पूंजीगत लेखे						
4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	-0.06	3.06	-0.88	0.94	24
4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0
कुल योग	369.66	-86.97	349.36	-1.89	88.86	

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका 1.12 से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल ₹ 718.57 करोड़ के प्रावधान में राशि ₹ 710.94 करोड़ जो कुल राशि का 98.94 प्रतिशत था, का उपयोग हुआ।
- यद्यपि 13वें वित्त आयोग का निर्धारित अवधि 2010–15 था, राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान भी विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग के अनुदान को उपयोग किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के ₹ 369.66 करोड़ के प्रावधान में राशि ₹ 349.36 करोड़ जो कुल राशि का 94.51 प्रतिशत था, का उपयोग हुआ और ₹ 88.86 करोड़ या तो समर्पित किया गया या शासन के खाते में व्यपगत हुआ।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ


पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं लोक ऋण प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्ति तालिका 1.13 तथा परिशिष्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

शासन के प्राप्तियों का स्रोत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,710.01	3,603.66	5,581.94	6,638.47	7,550.90
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	3.93	2.39	7.64	3.03	2.84
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,282.53	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2.21	1.53	5.14	0.91	0.52
कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,288.67	1,545.93	1,650.05	198.80	299.75
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	127.53	19.96	6.74	(-)87.95	50.78
आंतरिक ऋण	364.60	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	56.74	16.70	14.59	8.67	145.28
लोक ऋण प्राप्तियाँ	421.34	2,057.73	3,931.89	6,439.67	7,251.15
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	(-)47.01	388.38	91.08	63.78	12.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	20.90	13.21	13.21	13.58	6.40
पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.59	110.74	54.90	18.93	13.74

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2011–16 के दौरान राज्य के पूंजीगत प्राप्ति के घटकों की वृद्धि की प्रवृत्ति को चार्ट 1.18 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.13 से यह स्पष्ट है कि, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 1,710 करोड़ से ₹ 5,841 करोड़ बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 7,551 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 में पूंजीगत प्राप्तियाँ में ₹ 912 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 811 करोड़ की वृद्धि था तथा गैर ऋण प्राप्तियों में ₹ 101 करोड़ की वृद्धि था। आगे, बाजार ऋण में वर्ष 2014–15 में ₹ 4,200 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 4,850 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई। आगे, लोक ऋण प्राप्तियों में प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र का योगदान ₹ 870 करोड़ का था।

इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर के चार्ट से प्रतीत होता है, पूंजीगत प्राप्ति में लोक ऋण प्राप्ति में अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 421 करोड़ से ₹ 7,251 करोड़ की तीव्र वृद्धि देखी गयी जबकि इसी अवधि में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कमी देखी गयी जो इस बात का द्योतक है कि घाटे को पाटने के लिए बाजार ऋण पर निर्भरता बढ़ गयी।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2011–12 में ₹ 1,282.53 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 1,637.27 करोड़ हो गया तथा 2014–16 में घटकर ₹ 194.86 करोड़ हो गया तथा दुबारा 2015–16 में बढ़कर ₹ 296.39 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान ऋण की वसूली मुख्यतः राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (₹ 17,1.98 करोड़) तथा जलापूर्ति एवं सफाई हेतु स्थानीय निकाय को प्रदत्त ऋण इत्यादि (₹ 79.62 करोड़) से हुई।


1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य अपने संसाधनों की कमी तथा पूँजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आंतरिक बाजार से निधि की व्यवस्था करता है। आंतरिक ऋण वर्ष 2011–12 में ₹ 365 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 7,106 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में आंतरिक ऋण में ₹ 675 करोड़ (10.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान, आंतरिक ऋण में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 4,850 करोड़), प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र (₹ 870 करोड़), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिया गया ऋण (₹ 674 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 712 करोड़) था। इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से कोई अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
बाजार ऋण	0.00	1,500.00	3,000.00	4,200.00	4,850.00
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	..	0.00	0.00	870.12
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	152.63	288.80	674.62	796.13	673.52
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	211.97	252.23	242.68	658.81	712.23
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	776.04	0.00
कुल योग	364.60	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87

चार्ट 1.19 में वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटकों को दर्शाया गया है।



1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2011–15 की अवधि में निरंतर कमी आई, जो वर्ष 2011–12 में ₹ 57 करोड़ से 2014–15 में ₹ नौ करोड़ हो गया 2015–16 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 145 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 में, राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ₹ 145 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम प्राप्त किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान

केंद्रीय आयोजनागत योजना तथा केंद्रीय प्रवर्तित योजना के लिए कोई भी नया ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन-देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जिनका उल्लेख राज्य की संचित निधि में नहीं होता है, की प्राप्तियों एवं संवितरणों को, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष राशि शासन के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं इसके घटक तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.15: शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ⁷					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	307.76	293.47	265.40	443.83	514.30
आरक्षित निधियाँ	208.75	530.88	402.11	363.09	589.93
उचंत तथा विविध	22.40	(−)28.58	44.93	(−)78.64	35.70
प्रेषण	96.10	(−)64.17	(−)98.03	193.53	(−)11.93
जमा तथा अग्रिम	585.95	521.18	1,818.98	466.62	(−)69.54
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट अन्त शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल लोक लेखा प्राप्तियाँ (शुद्ध)	1,220.96	1,052.78	2,433.39	1,388.43	1,058.46

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2011–16 के दौरान वर्ष निधियों की शुद्ध उपलब्धता की प्रवृत्तियाँ को चार्ट 1.20 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ (लोलेप्रा) (कुल लोलेप्रा में से कुल लोक लेखा संवितरणों को घटाने के बाद) अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाया जो

⁷ शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ = लोक लेखा प्राप्तियाँ – लोक लेखा भुगतान। उचंत एवं विविध तथा आरक्षित निधि के आंकड़े निवेश के आंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया है।

₹ 1,053 करोड़ एवं ₹ 2,433 करोड़ के मध्य रहा। शुद्ध लोलेप्रा वर्ष 2012–13 में ₹ 1,053 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 2,433 करोड़ हो गया इसके बाद वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 1,388 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में घटकर ₹ 1,058 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान शुद्ध लोलेप्रा में कमी का मुख्य कारण जमा तथा अग्रिम, उचंत आरक्षित निधि में कमी था। यद्यपि, लघु बचत, भविष्य निधि एवं प्रेषण में शुद्ध लोलेप्रा में वृद्धि हुआ।

1.6 संसाधनों का उपयोग

चूंकि राज्य शासन को प्रमुख व्यय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के ढांचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण के माध्यम से लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाइयाँ हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर, जारी राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय लागत पर लागू न किया जाए।

1.6.1 व्यय की संरचना तथा वृद्धि



वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना तालिका 1.16 में दिया गया है। विगत पाँच वर्षों (2011–16) की अवधि में कुल व्यय⁸ की प्रवृत्तियाँ एवं “आर्थिक वर्गीकरण” एवं “गतिविधियों के अनुसार व्यय” दोनों के संदर्भ में इसकी संरचना क्रमशः चार्ट 1.21 एवं चार्ट 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	27,957	33,779	38,757	46,195	51,811
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.21	20.82	14.74	19.19	12.16
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	22,628 (81)	26,972 (80)	32,859 (85)	39,561 (85.64)	43,701 (84.35)
जिसमें आयोजना राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	10004	12440	13749	20990	20529
जिसमें आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	12,624	14,532	19,110	18,571	23,172
पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	4,056 (14)	4,919 (15)	4,574 (12)	6,544 (14.17)	7,945 (15.33)
ऋण एवं अग्रिम*(₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	1,273 (05)	1,888 (05)	1,324 (03)	90 (0.19)	165 (0.32)
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 ^{पी}	2,36,318 ^{क्यू}	2,51,447 ^ए
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	12.30	16.49	14.28	6.40

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे), ए—अग्रिम अनुमान, क्यू—त्वरित अनुमान, पी—अस्थायी अनुमान

*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।



तालिका 1.16 से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2011-12 के ₹ 27,957 करोड़ से (₹ 23,854 करोड़, 85 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 51,811 करोड़ हो गया।
- पिछले वर्ष कि तुलना में 2015-16 में ₹ 5,616 करोड़ के वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 4,140 करोड़ (10.46 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 1,401 करोड़ (21.42 प्रतिशत) अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम में ₹ 75 करोड़ (83.76 प्रतिशत) की वृद्धि थी।
- अवधि 2011-16 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो 12.16 प्रतिशत और 22.21 प्रतिशत के मध्य था। कुल व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2014-15 में 19.19 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 12.16 प्रतिशत की कमी हुई।
- वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 20.61 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय में, राजस्व व्यय का योगदान 84.35 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

जबकि पूंजीगत व्यय का योगदान 15.33 प्रतिशत रहा। कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम वितरण का योगदान सिर्फ 0.32 प्रतिशत रहा।

- वर्ष 2014–15 में 40 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2015–16 में कुल व्यय में आयोजनेतर राजस्व व्यय 45 प्रतिशत था। जबकि आयोजना राजस्व व्यय वर्ष 2014–15 में 45 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में कुल व्यय का 40 प्रतिशत था।

1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2011–16 के दौरान 80 से 86 प्रतिशत के मध्य रहा। 2015–16 के दौरान, राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.38 प्रतिशत रहा। 2015–16 के दौरान, राजस्व व्यय ₹ 43,701 करोड़ था जिसमें ₹ 23,172 करोड़ (53 प्रतिशत) आयोजनेतर घटक तथा ₹ 20,529 करोड़ (47 प्रतिशत) आयोजना घटक था।


1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 25,500 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 20,529 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के 53 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना राजस्व व्यय का अंश 47 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय में 2014–15 की तुलना में 2.20 प्रतिशत (₹ 461 करोड़) की कमी हुई।

1.6.2.2 आयोजनेतर राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान, ₹ 25,500 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 23,172 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के 47 प्रतिशत की तुलना में 2015–16 के दौरान कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय का अंश 53 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोजनेतर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,601 करोड़ (24.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

अवधि 2011–16 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय की तुलनात्मक प्रवृत्तियाँ को चार्ट 1.23 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.3 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं सब्सिडी पर व्यय

राज्य शासन के राजस्व खाते में व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित हैं, तालिका 1.17 एवं चार्ट 1.24 वर्ष 2011–16 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.14: वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	7,382.61 (28.54)	7,686.52 (25.99)	9,137.19 (28.51)	10,003.33 (26.33)	11,646.80	10,864.52 (23.58)
आयोजनेतर शीर्ष	4,893.18	5,018.01	6,267.88	6,973.60	लागू नहीं*	7,609.13
आयोजना शीर्ष**	2,489.43	2,668.51	2,869.31	3,029.73	लागू नहीं	3,255.39
सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान	897.27 (3.47)	1,280.34 (4.33)	1,749.32 (5.46)	2,009.90 (5.29)	लागू नहीं***	2,305.36 (5.00)
ब्याज भुगतान	1,193.20 (4.61)	1,153.49 (3.90)	1,350.53 (4.21)	1,726.62 (4.55)	2,081.30	2,148.91 (4.66)
पेंशन पर व्यय	1,877.87 (7.26)	2,412.14 (8.16)	2,751.87 (8.59)	3,249.52 (8.55)	3,780.64	3,518.73 (7.64)
सब्सिडी	1,870.93 (7.23)	1,790.83 (6.05)	3,155.53 (9.85)	3,746.58 (9.86)	9,425.85	7,397.12 (16.06)
कुल व्यय	13,221.88 (51.11)	14,323.32 (48.46)	18,144.44 (56.61)	20,735.95 (54.59)		26,234.64 (56.95)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


कोष्टक में प्रदर्शित आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

* बजट प्राककलन में आँकड़े अलग—अलग उपलब्ध नहीं हैं।

** शीर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान किये गये वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित हैं।

***बजट अनुमान में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चार्ट 1.24: अवधि 2011–16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सब्सिडी पर कुल व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 20,736 करोड़ से ₹ 5,499 करोड़ बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 26,235 करोड़ हो गया तथा यह राजस्व व्यय (₹ 43,701 करोड़) का 60 प्रतिशत एवं

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 46,068 करोड़) का 57 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है:

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

- चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2014–15 में ₹ 10,003 करोड़ से ₹ 862 करोड़ बढ़कर 2015–16 में ₹ 10,865 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान⁹ के माध्यम से वेतन भुगतान 2014–15 में ₹ 2,010 करोड़ से ₹ 295 करोड़ बढ़कर 2015–16 में ₹ 2,305 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन व मजदूरी पर व्यय राज्य शासन द्वारा बजट अनुमान (₹ 11,647 करोड़) में किये गये आकलन से 6.71 प्रतिशत (₹ 782 करोड़) कम था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय एफआरबीएम अधिनियम में बनाए गये प्रावधान (₹ 8,132 करोड़) से 33.61 प्रतिशत (₹ 2,733 करोड़) अधिक था।

पेंशन पर व्यय

- पेंशन पर व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 3,250 करोड़ से 8.28 प्रतिशत (₹ 269 करोड़) बढ़कर 2015–16 में ₹ 3,519 करोड़ हो गया।
- पेंशन पर व्यय (₹ 3,519 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹ 43,701 करोड़) का 8.05 प्रतिशत एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 23,172 करोड़) का 15.19 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 46,068 करोड़) का 7.64 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015–16 के लिए पेंशन भुगतान पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 3,780.64 करोड़) में बनाये गए प्रावधान से 6.93 प्रतिशत (₹ 262 करोड़) कम था।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा बनाये गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 2015–16 के अंत तक पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 2,756 करोड़ होना था। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के दौरान पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 3,519 करोड़ था जो 14वें वित्त आयोग के मानदण्ड से ₹ 763 करोड़ ज्यादा था।

ब्याज भुगतान

- ब्याज भुगतान जिसमें आंतरिक ऋण पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि भारत सरकार से लिया गया ऋण तथा अन्य देयतायें शामिल हैं, वर्ष 2014–15 में ₹ 1,726.62 करोड़ से 24.46 प्रतिशत (₹ 422.29 करोड़) बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,148.91 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2015–16 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 2,149 करोड़), 14वें वित्त आयोग (₹ 2,030 करोड़) द्वारा बनाये गए प्रावधान एवं राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान तथा एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 2,081 करोड़) में किए गए मूल्यांकन से ज्यादा था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4.92 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.66 प्रतिशत था।

सब्सिडी पर व्यय

- वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹ 7,397.12 करोड़ का भुगतान किया।

⁹ शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

- वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा दिए गये सब्सिडी का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: वर्ष 2011–16 के दौरान शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)


शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	950.51	722.30	1,754.23	9.34	10.21*
कृषि	46.36	75.45	300.45	322.40	243.92
मत्स्य पालन	0.60	1.30	1.36	1.44	1.75
वानिकी एवं अन्य जीव	8.10	15.05	15.03	19.60	16.28
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	383.67	395.24	463.71	2,328.16	5,319.71
सहकारिता	95.32	103.14	111.85	87.23	9.34
लघु सिंचाई	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
ऊर्जा	321.10	426.13	443.76	915.00	1,708.35
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	52.52	44.27	41.61	33.55	37.52
उद्योग	1.87	7.95	20.41	29.20	49.30
प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.39	0.66	0.74
ग्रामीण विकास	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00
योग	1,870.93	1,790.83	3,155.53	3,746.58	7,397.12

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

*श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण हेतु ₹ 0.37 करोड़ सम्मिलित।

- तालिका 1.18 से यह स्पष्ट है कि सब्सिडी पर व्यय 2014–15 में ₹ 3,747 करोड़ से ₹ 3,650 करोड़ (97.41 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 7,397 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान सब्सिडी पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 16.06 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 16.93 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान सब्सिडी भुगतान के मुख्य घटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 5,319.71 करोड़, 71.92 प्रतिशत), ऊर्जा (₹ 1,708.35 करोड़, 23.09 प्रतिशत), फसल कृषि-कर्म (₹ 243.92 करोड़, 3.30 प्रतिशत) थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सब्सिडी में त्वरित बढ़ोतरी का मुख्य कारण राज्य सहकारी विपणन संघ को धान उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व वर्ष (₹ 200 करोड़) के तुलना में (₹ 1,750 करोड़) 775.00 प्रतिशत दिया जाना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्व सहायता योजना में पूर्व वर्ष (₹ 1,800 करोड़) के तुलना में (₹ 3,464 करोड़) 48.04 प्रतिशत दिया जाना।

अवधि 2011–16 के दौरान के कुछ मुख्य सब्सिडीयों के प्रवृत्ति को चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है।



वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- कुछ सब्सिडी निःशुल्क सेवा पर सहायता अनुदान (वस्तु के रूप में) के रूप में दिया गया जिन्हे वर्ष 2015–16 में भी जारी रखा गया जो तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निःशुल्क सेवा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजना का नाम	कुल
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	53.73
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	57.31
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क किताब एवं लेखा सामग्री प्रदाय	0.64
कृषि	कृषक: को पॉच हॉर्स पावर पम्प के लिए विद्युत प्रदाय	1,032.10
संचार	छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रदाय	56.28
	योग	1,200.06

(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16 का विवरण संख्या 10)


तालिका 1.19 से यह स्पष्ट है कि शासन में वर्ष 2014–15 में ₹ 406.59 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,200.06 करोड़ का व्यय निःशुल्क किताब तथा लेखा सामग्री, सायकल, लैपटॉप तथा टैबलेट, कृषि-संबंधी पम्प के लिए विद्युत प्रदाय करने के लिए लक्षित हितग्राहियों का प्रदाय किया गया।

1.6.4 पूँजीगत व्यय

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान, पूँजीगत व्यय में 21.40 प्रतिशत (₹ 1,401 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत परिवहन पर ₹ 478 करोड़, ग्रामीण विकास योजना पर ₹ 264 करोड़, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर ₹ 236 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹ 198 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।
- पूँजीगत व्यय, अन्तर्राज्यीय समायोजन सहित ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 15.33 प्रतिशत तथा 0.32 प्रतिशत था।

1.6.5 गतिविधियों के दृष्टिकोण से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक हिस्सेदारी में होने वाली अंतर विविधताओं को चार्ट 1.26 में प्रदर्शित किया गया है।



- सामान्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 20.15 प्रतिशत से अल्प रूप से बढ़कर 2015–16 में 20.79 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 36.74 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 35.02 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं के संबंध में यह उसी अवधि के दौरान 40.99 प्रतिशत से बढ़कर 42.36 प्रतिशत हो गया।
- सहायक अनुदान पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 2.12 प्रतिशत से अल्प रूप से कम होकर 2015–16 में 1.74 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम उसी अवधि के दौरान 0.19 प्रतिशत से बढ़कर 0.32 प्रतिशत हो गया।

1.6.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 1.20 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
शैक्षणिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	163.07	223.27	242.42	261.87	273.80
विद्युत / ऊर्जा	149.56	672.81	254.67	458.00	1,213.06
कृषि	56.50	71.00	77.39	82.50	89.04
स्थानीय नगरीय निकाय	1,268.53	2,055.21	2,002.56	1,919.54	1,785.97
पंचायती राज संस्थायें	2,811.71	3,897.95	4,954.99	7,797.54	6,246.71
अन्य संस्थायें	158.21	123.61	118.70	53.86	69.60
योग	4,607.58	7,043.85	7,650.73	10,573.31	9,678.18
राजस्व व्यय	22,628	26,972	32,859	39,561	43,701
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	20.36	26.12	23.28	26.73	22.15

(ज्ञोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.20 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं¹⁰ को वित्तीय सहायता 2011–12 में ₹ 4,608 करोड़ से अनवरत रूप से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 9,678 करोड़ हो गई। यद्यपि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में ₹ 895 करोड़ (8.46 प्रतिशत) की कमी हुई, जो वर्ष 2014–15 में ₹ 10,573 करोड़ की तुलना में 2015–16 में ₹ 9,678 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 में विद्युत / ऊर्जा पर वित्तीय सहायता में ₹ 755 करोड़ (165 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान, शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (64.54 प्रतिशत) एवं स्थानीय नगरीय निकायों (18.45 प्रतिशत) तथा विद्युत / ऊर्जा (12.53 प्रतिशत) को दिया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उनके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पक्ष शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् जन सेवा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा इसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम के संबंधों का आंकलन)।

¹⁰

शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा / कृषि, सहकारिता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।


1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायित्व जिसे राज्य शासन को सौंपा गया है मुख्यतः राज्य के विषय है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करें। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय के सापेक्ष अनुदान) दी जाती है, यदि यह संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से कम है।

वर्ष 2012–13 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2015–16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.21 में की गई है। दो वर्षों में राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये प्राथमिकता को चार्ट 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: वर्ष 2012–13 एवं 2015–16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ई/जीएसडीपी	डीई# /ई	एसएसई/ई	सीई/ई	शिक्षा/ई	स्वास्थ्य/ई	(प्रतिशत में)
औसत (अनुपात) 2012–13							
सामान्य श्रेणी राज्य	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72	
छत्तीसगढ़	19.03	77.40	37.69	20.15	16.76	3.83	
औसत (अनुपात) 2015–16							
सामान्य श्रेणी राज्य	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45	
छत्तीसगढ़	20.61	77.47	35.11	15.65	18.96	5.23	
ई: कुल व्यय, डीई—विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय							
#विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम समिलित है।							



तालिका 1.21 से यह स्पष्ट है कि:

- छत्तीसगढ़ शासन ने सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत की तुलना में वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में कुल व्यय के रूप में अपने सकल घरेलू उत्पाद का अनुपातिक रूप से अधिक खर्च किया।
- वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय के साथ साथ पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

● वर्ष 2012–13 एवं 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। वर्ष 2012–13 की तुलना में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वर्ष 2015–16 में घट गया।

● वर्ष 2012–13 में राज्य ने सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र एवं शिक्षा के क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी है परंतु वर्ष 2015–16 में ज्यादा प्राथमिकता दी है। वर्ष 2012–13 की तुलना में कुल व्यय के अनुपात में इन क्षेत्रों का व्यय वर्ष 2015–16 में बढ़ गया।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करें एवं अति आवश्यक लोक एवं महत्व की वस्तुओं¹¹ के लिए प्रावधान पर बल दें। विकास व्यय¹² के आवंटन में सुधार के अतिरिक्त विशेषकर अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग में कुशलता, कुल व्यय और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से पूंजीगत व्यय के अनुपात परिलक्षित होता है एवं राजस्व पर व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जा रहा है। कुल व्यय से इन घटकों का जितना उच्च अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी।

तालिका 1.22 विगत वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.22: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
विकास राजस्व व्यय	16,037 (57)	19,468 (58)	24,038 (62)	29,541 (64)	32,392 (63)
विकास पूंजीगत व्यय	4,014 (15)	4,794 (14)	4,392 (11)	6,287 (14)	7,582 (15)
विकास ऋण एवं अग्रिम	1,259 (05)	1,882 (06)	1,309 (03)	78 (0.17)	164 (03)
कुल विकास व्यय	21,310 (76)	26,144 (77)	29,739 (77)	35,906 (78)	40,138 (77)
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	27,957	33,779	38,757	46,195	51,811

कोष्टक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: वित्त लेखे)

¹¹ मुख्य जन सामग्री सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हों, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपयोग से अन्य किसी व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सङ्कर अधीसंरचना इत्यादि। उच्च गुणवत्ता सामग्री ऐसी उपयोग की वस्तुएं हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्भावना एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रुग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

¹² व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे, पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सामान्य सेवाएं की श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जाता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय को प्रदर्शित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।

- तालिका 1.22 से यह देखा जा सकता है कि विकास व्यय जिसमें सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2011–12 में ₹ 21,310 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,828 (88.35 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 40,138 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में स्थिरता देखी गई जो 76 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2015–16 के दौरान विकास व्यय, कुल व्यय का 77 प्रतिशत था जबकि गैर विकास व्यय 23 प्रतिशत था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान कुल विकास व्यय में ₹ 4,232 करोड़ (11.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण विकास राजस्व व्यय में ₹ 2,851 करोड़ (9.65 प्रतिशत) तथा विकास पूँजीगत व्यय में ₹ 1,295 करोड़ (20.60 प्रतिशत) तथा विकास ऋण तथा अग्रिमों में ₹ 86 करोड़ (110.26 प्रतिशत) का वृद्धि था।

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.23 पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक / आर्थिक अधोसंरचना	2014–15			2015–16			(प्रतिशत में)
	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी	
सामाजिक सेवाएं							
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	3.38	0.79	34.06	3.40	0.48	40.82	
सामान्य शिक्षा	0.57	0.85	36.99	0.96	0.12	39.21	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.51	0.63	50.83	0.56	0.70	50.09	
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.52	2.12	8.50	1.27	2.52	9.53	
आर्थिक सेवाएं							
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	10.23	4.06	13.95	11.15	2.38	12.73	
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.13	0.55	15.64	0.12	0.53	15.55	
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.33	9.18	52.77	3.35	10.12	51.00	

(स्रोत: वित्त लेखे)

टीई: संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सीई: संबंधित क्षेत्र में पूँजीगत व्यय;

तालिका 1.23 से यह स्पष्ट है कि:

- कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2014–15 में 3.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 3.40 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 1559.87 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,807.01 करोड़ हो गया।
- जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 34.06 प्रतिशत से बढ़कर 40.82 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2015–16 के दौरान अनुरक्षण व्यय 0.79 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 4,726.64 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 5,775.67 करोड़ बढ़ने के कारण कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत

व्यय का हिस्सा वर्ष 2014–15 में 10.23 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 11.15 प्रतिशत हो गया।

- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन का हिस्सा 13.95 प्रतिशत से घटकर 12.73 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष के दौरान उसका अनुरक्षण व्यय क्रमशः 4.06 प्रतिशत से घटकर 2.38 प्रतिशत हो गया।

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में राज्य से यह अपेक्षा है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटे (एवं उधारियों) को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखे अपितु पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार आर्थिक सहायता के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिए एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यह खण्ड विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

परियोजनाओं की विभागवार जानकारी (जिसकी लागत ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक है) जो अपने निर्धारित समयावधि तक और 31 मार्च 2016 तक भी पूर्ण नहीं हुये थे, तालिका 1.24 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.24 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं			
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	प्राकक्लित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2016 को संचयी व्यय
लोक निर्माण	37	963.06	1,526.38	939.99
जल संसाधन	157	6,329.39	8,080.29	4,971.54
योग	194	7,292.45	9,606.67	5,911.53

(झोत: वित्त लेखे 2015–16)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभारित करता है। सभी 194 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 9,606.67 करोड़) को 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु उनके अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन कार्यों पर व्यय राशि ₹ 5,911.53 करोड़ अवरुद्ध हो गई। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2016 की स्थिति में, शासन ने 16 सरकारी कंपनियों (₹ 5,969.44 करोड़), 1462 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 162.37 करोड़), छ: सांविधिक निगमों (₹ 33.50 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 24.31 करोड़) तथा एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 2.60 करोड़) में ₹ 6,192.22 करोड़ निवेश किया (तालिका 1.25)। अवधि 2011–16 के


वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

दौरान शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिफल के अंतर को चार्ट 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: निवेश पर प्रतिफल

निवेश / प्रतिफल / उधार की लागत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	1,194.38	1,916.18	1,866.44	1,872.53	6,192.22
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.46	2.19	14.21	0.86	5.73
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.04	0.11	0.76	0.05	0.09
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.08	6.34	6.12	6.16	6.25
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.04	6.23	5.36	6.11	6.16

*(वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)



वर्ष 2014–15 के ₹ 0.86 करोड़ (0.05 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 में इस निवेश पर औसत प्रतिफल ₹ 5.73 करोड़ (0.09 प्रतिशत) था। वर्ष 2015–16 के दौरान शासन ने अपने उधारियों पर 6.25 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया, जबकि राज्य के निवेश पर प्रतिफल केवल 0.09 प्रतिशत है। उधार ली गई निधि का लगातार निवेशित निधि में उपयोग करना, जिसका पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल न होता हो, असतत् वित्तीय स्थिति को पैदा करता है। शासन उच्च लागत के निधियों के निवेश के लिए समुचित औचित्य सुनिश्चित कर सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखे के साथ मिलना चाहिए। उस स्थिति में जब आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.26: बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों की स्थिति

बकाया संबंध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार राशि	(₹ करोड़ में) अंतर
इक्विटी	5,969.83	8,255.08	2,255.25
ऋण	257.25	531.71	274.46
प्रत्याभूति	857.76	1,353.46	495.70

यह पाया गया कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अंतर पाया गया तथा इन अंतरों का समाशोधन 2004–05 से लंबित था। यद्यपि, वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के राशि में अंतरों को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया था, राज्य शासन द्वारा सुधार हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था। शासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरों का समाशोधन हेतु समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियाँ का विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	1,535.64	1,517.88	1,864.72	1,545.99	1,395.41 ¹³
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,268.74	1,888.79	1,318.53	88.32	164.73
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	1,282.53	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39
अंतशेष	1,521.85	1,864.66	1,545.99	1,439.45	1,263.75
ऐसे बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई हैं	1,094.48	1,864.66	1,544.99	1,438.45	1,263.75
निवल वृद्धि	(–)13.79	342.78	(–)318.74	(–)106.54	(–)131.66
ब्याज प्राप्तियाँ	62.79	8.27	274.43	47.30	47.02
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	4.11	0.44	17.75	3.29	3.54
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.08	6.34	6.12	6.16	6.25
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(–)2.97	(–) 5.90	11.63	(–) 2.87	(–)2.71

(स्रोत: वित्त लेखे)

मार्च 2016 की समाप्ति पर शासन के ₹ 1,263.75 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम बकाया थे जिसमें से ₹ 1.71 करोड़, ₹ 774.35 करोड़ तथा ₹ 497.96 करोड़ के ऋण क्रमशः सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के थे। सरकारी कर्मचारियों से ₹ 10.27 करोड़ ऋण तथा अग्रिमों की वसूली कर बकाया ऋण तथा अग्रिमों का समायोजन किया गया। इन ऋणों तथा अग्रिमों से प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष 3.17 प्रतिशत (₹ 47.30 करोड़) के विरुद्ध वर्ष 2015–16 में 3.54 प्रतिशत (₹ 47.02 करोड़) था।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.28 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.28: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

(अ) सामान्य रोकड़ शेष	1 अप्रैल 2015 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम शेष
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	(–) 134.31	(–)577.94
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	(–) 134.31	(–)577.94

¹³ प्रोफार्मा समायोजन से ₹ 44.04 की कमी।

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	(−)1.26	1,856.17
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	(−)135.57	1,278.23
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	9.98	11.54
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशागी राशियों	0.33	0.32
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,343.64	1,543.63
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	1,353.95	1,555.49
कुल (अ) तथा (ब)	1,218.38	2,833.72

(झोत: वित्त लेखे 2015–16)

- वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर राज्य का रोकड़ शेष वर्ष 2014–15 के ₹ 1,218.38 करोड़ से ₹ 1,615.34 करोड़ (132.58 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,833.72 करोड़ हो गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुबंध के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक में न्युनतम ₹ 0.72 करोड़ रोकड़ शेष रखना आवश्यक है। अगर किसी भी दिन यह राशि अनुबंधित निम्नतम राशि से कम होती है, तब कमी को समय–समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार ने कोई विशेष अथवा साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया था।

- राज्य शासन द्वारा आंतरायिकता अधिशेष रोकड़ शेष को शासकीय कोषालय देयकों के अल्प सावधि जमा तथा प्रत्याभूतियों में निवेश किया गया तथा वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 50.35 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया जो कि पिछले वर्ष (₹ 64.50 करोड़) की तुलना में ₹ 14.15 करोड़ कम था।

- मुख्य शीर्ष 8670–चेक तथा बिल के अंतर्गत अधिशेष राशि, 31 मार्च 2016 की स्थिती में, भुनाए नहीं गए चेकों के मूल्य को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2014–15 में बकाया राशि ₹ 45.33 करोड़ से ₹ 5.18 करोड़ घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 50.51 करोड़ हो गया।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2015 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2016 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को परिशिष्ट 1.4 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है।

कुल दायित्व, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया है, वैसे दायित्व हैं जो राज्य के संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा निधि के अंतर्गत आते हैं। दायित्व के दो समूह हैं—लोक ऋण तथा अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण सम्मिलित है और जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि—पूंजीगत लेखा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।


इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, मुआवजा तथा अन्य ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय ऋण शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारतीय प्रांत के अंदर अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा तक ऋण ले सकता है जैसा समय—समय पर विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई हो तथा

विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई सीमा के अंदर गारन्टी दे सकता है। लोक लेखे दायित्वों में अल्प बचत योजना के अंतर्गत जमा, भविष्य निधि इत्यादि, सुरक्षा निधि तथा अन्य जमा सम्मिलित हैं।

संचित निधि के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.4 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना चार्ट 1.29 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वित्त लेखे)

यद्यपि राज्य के लोक लेखा दायित्वों में समग्र रूप से वृद्धि हुई, दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के 23.89 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2015–16 में 21.03 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में परिसम्पत्तियों का वृद्धि दर में वर्ष 2014–15 के 13.96 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2015–16 में 30.78 प्रतिशत हो गया।

विगत वर्ष की तुलना में जहाँ आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व के प्रतिशतता के रूप में 59 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया वहीं लोक लेखा दायित्व तथा भारत सरकार से प्राप्त बकाया ऋण तथा अग्रिम विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 35 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत तथा छः प्रतिशत से घटकर पाँच प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को तालिका 1.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय देयता—आधारभूत मानक

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आंतरिक ऋण	8,396	9,567	12,943	18,195	24,215
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,290	2,137	2,003	1,854	1,836
लोक लेखा देयता	6,417	7,564	9,958	10,932	11,766
कुल राजकोषीय देयताएं	17,103	19,268	24,904	30,981 ¹⁴	37,817
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर	3.15	12.66	29.25	24.40	22.07

¹⁴ वर्ष 2014–15 के आंकड़े वित्त लेखे में प्रारूप समायोजन एवं सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में बदलाव के कारण परिवर्तित हुए हैं।


वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(प्रतिशत में)					
राजकोषीय देयतायें/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	10.82	10.85	12.04	13.11	15.04
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	66.11	65.14	77.70	81.55	82.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 ^a	2,36,318 ^{a,b}	2,51,447 ^c
जनसंख्या (करोड़ में)	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75
प्रति व्यक्ति ऋण (₹ में)	6,707	7,411	9,398	11,549	13,752

(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16)
(ए=अग्रिम, ब्यू=तत्काल एवं पी=अस्थायी)

- राज्य का समग्र राजकोषीय देयता ₹ 20,714 करोड़ (121.11 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में ₹ 17,103 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 37,817 करोड़ हो गया।
- राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के 24.40 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान 22.07 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2015–16 के समाप्ति पर राजकोषीय दायित्व, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 82.09 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान यह 81.55 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान, बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 15.04 प्रतिशत था जो एफआरबीएम प्रकटीकरण में दिये गये अनुमान (16.09 प्रतिशत) के अन्दर था।
- प्रति व्यक्ति ऋण प्रभावी वृद्धि के साथ लगभग दो गुणा हो गया तथा 105 प्रतिशत (₹ 7,045) की वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में ₹ 6,707 से वर्ष 2015–16 में ₹ 13,752 हो गया।

चार्ट 1.30 अवधि 2011–16 के दौरान प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप में परिभाषित उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु आरक्षितों एवं आरक्षित निधियों का गठन किया गया है तथा इनकी पूँजी भारत/राज्य के समेकित निधि के अंशदान/अनुदान से पूरी की जाती है। वर्ष 2000–01 एवं 2015–16 के बीच कुछ विशेष उद्देश्यों हेतु 16 आरक्षित निधि चिह्नित किये गये थे जिसमें से 12 सक्रिय तथा चार असक्रिय थे। 31 मार्च 2016 के अंत तक इन निधियों में ₹ 3,579.11 करोड़ जमा हुए। 31 मार्च 2016 के अंत तक निधि में उपलब्ध ₹ 3,579.11 करोड़ निवल संचित शेष में से राज्य शासन ने ₹ 1,543.63 करोड़ (43.13 प्रतिशत) निवेश

किया था। निधियाँ, जो मुख्य शीर्ष 8229—विकास तथा कल्याण निधियों तथा 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में असंचालित रहे हैं, का विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: असंचालित आरक्षित निधि का विवरण

आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष (₹ करोड़ में)	वर्ष जब से असंचालित है
8229—विकास एवं कल्याण निधियाँ		
कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निवेश खाता	0.06(क्रेडिट)	2000–01
वनरोपण क्षतिपूरक निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008–09
शिक्षा उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011–12
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि		
अन्य निधियाँ	0.01 (क्रेडिट)	2000–01
कुल योग	18.99(क्रेडिट)	

इसके अतिरिक्त, आरक्षित निधि, ग्रामीण विकास निधि, जिसका गठन 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु किया गया था, का 31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष ₹ 159.68 करोड़ था लेकिन इसके गठन के पश्चात् से अब तक इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

इन निधियों को यदि जारी रखना जरूरी न हो तो इनकी जाँच और बंद करने तथा शेष को समेकित निधि में प्रेषण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर, राज्य शासन ने वर्ष 2010–11 में एक राज्य आपदा राहत निधि का गठन किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार के राज्य आपदा राहत निधि के अंशदान ₹ 249.73 करोड़ के विरुद्ध ₹ 212.47 करोड़ (₹ 159.35 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 53.12 करोड़ राज्यांश) निधि को स्थानांतरित किया गया था। केन्द्रांश ₹ 90.38 करोड़ एवं समरूप राज्यांश ₹ 30.12 करोड़ निधि में अस्थानांतरित रहे जिसके कारण ₹ 120.50 करोड़ के सीमा तक राजस्व अधिक्य में बढ़ाकर तथा राजकोषीय घाटे में घटाकर दर्शाया गया, साथ ही केंद्रीय निधि को राज्य के पास अनाधिकृत रूप से रोका गया। इसके साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि का ₹ 522.31 करोड़ भी राज्य शासन द्वारा एस.डी.आर.एफ. में स्थानांतरित किये गये। 31 मार्च 2016 को निधि का शेष ₹ 447.10 करोड़ था।

निक्षेप निधि

शासन ने वर्ष 2006–07 के दौरान खुले/बाजार ऋण के लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया। इस निधि का उपयोग परिशोधन के रूप में बकाया आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों के विमोचन के लिए वर्ष 2011–12 से किया जाना था। यद्यपि, वर्ष 2015–16 तक शासन द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2015–16 में निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में शेष ₹ 1,546.94 करोड़ था। वर्ष 2015–16 के दौरान, शासन ने ₹ 154.90 करोड़ के न्यूनतम अंशदान अर्थात् वर्ष 2014–15 के अंत तक बकाया दायित्वों (₹ 30,980.93 करोड़) का 0.5 प्रतिशत के विपरीत, ₹ 200 करोड़ का अंशदान दिया।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूति राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक उत्तरदायित्व होती है जब उधारकर्ता जिसके विरुद्ध प्रत्याभूति दी गई है, के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत मार्च 2016 तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई थी जिससे शासन राज्य के समेकित निधि के प्रतिभूति पर प्रत्याभूति दे सके। यद्यपि राज्य के एफआरबीएम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

राज्य शासन कम से कम शर्तों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत या जोखिम भारित के आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो, से ज्यादा एक वर्ष में प्रत्याभूति नहीं देगा।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले तीन वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.31 में दिया गया है।


तालिका 1.31: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति


प्रत्याभूतियाँ	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	7,079.29	6,605.49	7,571.99	9,080.06	14,883.41
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,637.40	2,694.90	3,358.27	2,314.47	1,988.24
राजस्व प्राप्तियाँ	25,867.38	29,578.09	32,050.26	37,988.01	46,067.71
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रत्याभूति राशि का प्रतिशतता	27.37	22.33	23.63	23.90	32.31

(ज्ञात: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्त लेखे में दर्ज विवरण संख्या 9 तथा 20 के अनुसार ₹ 1,988.24 करोड़ की प्रत्याभूति मार्च 2016 के अंत तक बकाया थी। इनमें से सहकारिता (₹ 1,000.15 करोड़), ऊर्जा (₹ 827.46 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 87.64 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 69.23 करोड़) तथा अन्य (₹ 3.76 करोड़) को प्रत्याभूति दी गई जो 31 मार्च 2016 तक बकाया थे। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 4.32 प्रतिशत था। नये प्रत्याभूतियां एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत थी।

पांच वर्ष की अवधि के दौरान जबकि प्रत्याभूति बकाया राशि में काफी कमी हुई, कुल राजस्व के सापेक्ष प्रत्याभूति में काफी बढ़ोत्तरी हुई जैसा कि चार्ट 1.31 एवं चार्ट 1.32 में दर्शाया गया है।





राज्य सरकार को प्रत्याभूति की आकस्मिक विमुक्ति के दायित्व के निर्वाह के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्यों को पूर्व निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क से एक प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करनी चाहिए। तथापि, राज्य शासन के द्वारा उनके प्रत्याभूतियों का मूल्यांकन “मध्यम एवं निम्न जोखिम” मानते हुए प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति को रद्द नहीं किया गया था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 4.11 करोड़ की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूली की गई जो कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.20 करोड़ थी।


1.9.5 सरकार द्वारा लिए गए उधार का विश्लेषण

वर्ष 2015-16 के दौरान लोक ऋण का विवरण तथा इसके घटक को क्रमशः तालिका 1.32 तथा चार्ट 1.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32: वर्ष 2015-16 के दौरान लोक ऋण का विवरण

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	पुनर्मुग्तान	31 मार्च 2016 को अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) निवल वृद्धि (+) कमी (-)
बाजार ऋण	9,887.69	4,850.00	183.25	14,554.44	4,666.75
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	96.73	870.12	48.32	918.53	821.80
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,033.41	673.52	147.60	2,559.33	525.92
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,793.17	712.23	323.14	6,182.26	389.09
भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम	383.80	0.00	383.80	0.00	(-)383.80
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,854.38	145.28	164.07	1,835.59	(-)18.79
योग	20,049.18	7,251.15	1,250.18	26,050.15	6,000.97

(स्रोत: वित्त लेखे 2015-16)



वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 7,251.15 करोड़ का उधार लिया गया तथा ₹ 1,250.18 करोड़ इसके पुनर्भुगतान के रूप में विमुक्त किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान बाजार से उधारियों एवं अन्य उधारियों का विश्लेषण निम्नानुसार है:

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 673.52 करोड़ का उधार वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 673.42 करोड़) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.10 करोड़) से लिया गया तथा ₹ 147.60 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण का बकाया शेष वर्ष 2014–15 में ₹ 2,033.41 करोड़ से ₹ 525.92 करोड़ (25.86 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ वर्ष 2015–16 में ₹ 2,559.33 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त ऋण

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि गठित किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 712.23 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 323.14 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कर्जों के बकाया शेष में ₹ 389.09 करोड़ (6.72 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2014–15 में ₹ 5,793.17 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 6,182.26 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 552.21 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

बाजार ऋण


अवधि वर्ष 2011–16 के दौरान बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति तालिका 1.33 में दिया गया है।

तालिका 1.33: वर्ष 2011–16 की अवधि में बाजार ऋण की समग्र स्थिति

वर्ष	बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण	अंतिम शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	(₹ करोड़ में) विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
2011–12	2,512.72	0.00	313.14	2,199.58	(-) 313.14	(-) 12.46
2012–13	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47	47.12
2013–14	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99	87.88
2014–15	6,080.04	4,200.00	392.35	9,887.69	3,807.65	62.63
2015–16	9,887.69	4,850.00	183.00	14,554.44	4,666.75	47.20

(स्रोत: वित्त लेखे)

तालिका 1.33 से यह स्पष्ट है कि मार्च 2012 की समाप्ति पर बाजार ऋण ₹ 2,199.58 करोड़ प्रबल रूप से लगभग सात गुणा (₹ 12,354.86 करोड़: 561.69 प्रतिशत) बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 14,554.44 करोड़ हो गया, जो कि भविष्य में वृहद भुगतान दायित्व की ओर ले जाएगा जैसा कि नीचे के चार्ट में दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 864.95 करोड़ का ब्याज भुगतान किया। अवधि 2011–16 के दौरान बाजार ऋण के अंतः शेष की प्रवृत्ति चार्ट 1.34 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र

उज्ज्वल डिस्काम एसोरेन्स योजना (उदय), विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना, जो भारत सरकार के द्वारा राज्य डिस्काम के परिचालन एवं वित्तीय दक्षता को सुधारने के लिए अनुमोदित किया गया तथा सिर्फ राज्य के स्वामित्व वाले डिस्काम पर लागू होगा। योजना में भारत सरकार के द्वारा राज्य शासन को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कुल ऋण का 50 प्रतिशत (₹ 870.12 करोड़) वर्ष 2015–16 में 30 सितंबर 2015 तक अधिग्रहित किया जाएगा एवं शेष 25 प्रतिशत (₹ 435.06 करोड़) वर्ष 2016–17 में किया जाएगा तथा पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ऋण का निर्वहन करने में किया जायेगा तथा अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जायेगा। उपरोक्त के लिए, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम ऋण के भुगतान के लिए ₹ 870.12 करोड़ का गैर एसएलआर बॉण्ड जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित ऋण वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के राजकोषीय घाटे के सीमा के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

राज्य शासन के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण धारणीयता¹⁵ को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण¹⁶; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁷; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁸; ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

एक समयावधि में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिर बनाए रखने की राज्य की योग्यता को ऋण धारणीयता कही जाती है। अतएव, यह राज्य के ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।

तालिका 1.34 विगत पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.34: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
बकाया ऋण	17,103	19,268	24,904	30,981	37,817
बकाया ऋण वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.15	12.66	29.25	24.40	22.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऋण वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	12.30	16.49	14.28	6.40
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर	7.08	6.34	6.12	6.16	6.25
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति)	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
ऋण पुनर्भुगतान / ऋण प्राप्ति	0.89	0.69	0.45	0.47	0.47
राज्य को शुद्ध ऋण की उपलब्धता	(-)672	1,012	4,283	4,551	4,687
बकाया ऋण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.82	10.85	12.04	13.11	15.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.34 से देखा जा सकता है:

- राज्य का बकाया ऋण वर्ष 2011–12 में ₹ 17,103 करोड़ से तीव्रता से बढ़कर ₹ 20,714 करोड़ (121.11 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 37,817 करोड़ हो गई।

¹⁵ ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण—जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में वित्त को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिस्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ सतुर्लन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

¹⁶ स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण—जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बर्शर्ट प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मानूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर—ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ—साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण—जीएसडीपी अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ—साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण—जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण—जीएसडीपी अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

¹⁷ राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

¹⁸ उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूलधन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सुचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

- राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 2011–16 अवधि में असमान रूप से बढ़ा एवं वर्ष 2015–16 में 15.04 प्रतिशत पहुँच गया।
- बकाया ऋण की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 में 3.15 प्रतिशत से तीव्रता से बढ़कर 2012–13 में 12.66 प्रतिशत तथा 2013–14 में 29.25 प्रतिशत हो गई उसके बाद घटकर 2015–16 में 22.07 प्रतिशत हो गई।
- मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात् उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2011–12 में (–) ₹ 672 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 4,687 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 के दौरान शासन ने ₹ 6,067 करोड़ (₹ 1,086 करोड़ के आंतरिक ऋण का मूलधन एवं ब्याज, भारत सरकार से ₹ 164 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 4,817 करोड़ का भी निपटान) का पुनर्भुगतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 12,902 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 7,106 करोड़, भारत सरकार से ₹ 145 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 5,651 करोड़) से कम था, परिणामतः उत्पादक/पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 4,687 करोड़ (कुल उधारों का 36.33 प्रतिशत) के निधि की शुद्ध उपलब्धता थी।

राज्य द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान हेतु योग्य, राज्य ऋण के परिपक्वता का परिपेक्ष्य तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: राज्य के ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	कुल ऋण का प्रतिशत
0–5	4,252.03	3,914.35	4,207.57	5,828.95	5,934.05	23
6–10	3,115.08	3,204.48	7,937.95	11,849.84	17,028.20	65
11–15	1,958.45	3,312.46	1,674.14	1,553.25	1,846.17	07
16–20	1,012.50	802.49	658.63	528.11	448.46	02
20 और उससे ऊपर	347.50	470.22	467.95	289.04	793.26	03
योग	10,685.56	11,704.00	14,946.24	20,049.19	26,050.14	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया लोक ऋण कि परिपक्वता की रूपरेखा यह दर्शाता है कि अगले 10 वर्षों में कुल बकाया ऋण का 88 प्रतिशत होगा। आगे यह दर्शाता है कि ऋण चुकाने का राज्य का दायित्व वर्ष 2016–21 के दौरान ₹ 5,934 करोड़ तथा वर्ष 2021–26 के दौरान ₹ 17,028 करोड़ होगा जो कि उस अवधि के दौरान सरकारी बजट पर दबाव डालेगा। अतः भविष्य के ऋण भुगतान की अधिक जागरूकता के साथ शासन को इस स्थिति में होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये ऋण का भुगतान उन वर्षों में नहीं करना पड़े जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया हो।

ऋण पर ब्याज अदायगी, राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2011–12 में 4.61 से वर्ष 2012–13 में 3.90 का घटता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है और उसके बाद वर्ष 2012–13 में 3.90 से वर्ष 2015–16 में 4.66 का बढ़ता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है, जैसा कि तालिका 1.36 से देखा जा सकता है। अवधि 2011–16 के दौरान ब्याज अदायगी का राजस्व प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में प्रवृत्ति को चार्ट 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.36: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
ब्याज भुगतान (करोड़ में)	1,193	1,153	1,351	1,727	2,149
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	4.61	3.90	4.23	4.55	4.66

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




1.11 राजकोषीय अस्थिरता


तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे—राज्य शासन के वित्त में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की विवक्षेशीलता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण हेतु संसाधन की व्यवस्था एवं उपयोग के तरीके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटे के पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा तरीके एवं एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.36, चार्ट 1.37 तथा तालिका 1.37 वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए घाटे के सूचकांकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.37: घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+)	(+) ^{3,239}	(+) ^{2,606}	(-) ⁸⁰⁹	(-) ^{1,573}	(+) ^{2,367}
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) ⁸⁰¹	(-) ^{2,655}	(-) ^{5,057}	(-) ^{8,008}	(-) ^{4,574}
प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य (+)	(+) ³⁹²	(-) ^{1,502}	(-) ^{3,706}	(-) ^{6,281}	(-) ^{2,425}

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

राजस्व घाटा/आधिक्य, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा उधारियों को बढ़ाता है तथा राजस्व आधिक्य उधारियों को घटाता है।

वर्ष 2011–12 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 3,239 करोड़ से घटकर वर्ष 2012–13 में ₹ 2,606 करोड़ हो गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटा में तब्दील हो गया जो कि वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 764 करोड़ बढ़कर ₹ 1,573 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व घाटा, ₹ 2,367 करोड़ के साथ राजस्व आधिक्य में परिवर्तित हो गया एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा वर्ष 2014–15 में (−)0.67 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 0.94 हो गया।

राजकोषीय घाटा जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 410 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य था, लेकिन यह वर्ष 2011–12 में ₹ 801 करोड़ के राजकोषीय घाटे में तब्दील हो गया तथा धीरे–धीरे बढ़कर 2014–15 में ₹ 8,008 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व घाटा पिछले वर्ष के विरुद्ध ₹ 3,434 करोड़ (42.88 प्रतिशत) कम हो गया। राजस्व प्राप्तियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 1.82 था जो 14वें वित्त आयोग प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 3.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

राजकोषीय घाटा में 42.88 प्रतिशत की कमी तथा ब्याज अदायगियों में 24.44 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में ₹ 6,281 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,425 करोड़ हो गया।

राजकोषीय संकेतक पर उदय योजना का प्रभाव: उदय योजना के अनुसार, राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाना था। राज्य ने गैर-एसएलआर बॉण्ड के रूप में ₹ 870.12 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया था। यदि उपरोक्त लेन–देन को शामिल किया जाता तो राजकोषीय घाटा (₹ 5,443.83 करोड़), राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.16 प्रतिशत होता जो कि अब ₹ 4,573.71 करोड़ या राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.82 प्रतिशत था। मार्गदर्शिका के तारतम्य में, राज्य सरकार के द्वारा लेन–देन यद्यपि राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं परंतु उन्हें लेखांकित नहीं किया गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का घटक तथा इसके वित्त पोषण की संरचना

राजकोषीय घाटा राज्य द्वारा लिये जाने वाले कुल उधारियों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से राजस्व व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे का विभाजन यह प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली तालिका 1.38 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.38: राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजकोषीय घाटे का विभाजन					
राजस्व घाटा (−)/आधिक्य (+)	3,239.33	2,606.25	−809.31	−1,573.28	2,366.65
निवल पूँजीगत व्यय	(−)4,052.47	(−)4,916.94	(−)4,566.55	(−)6,541.22	(−)7,942.17
निवल ऋण एवं अग्रिम ¹⁹	11.97	(−)344.45	318.58	106.23	131.69
उदय योजना के अंतर्गत असम्मिलित व्यय ²⁰	—	—	—	—	870.12
योग	(−)801.17	(−)2,655.14	(−)5,057.28	(−)8,008.27	(−)4,573.71

¹⁹ इसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।

²⁰ उदय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना हेतु राज्य द्वारा लिए गए ऋण की वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में राजकोषीय घाटे की सीमा के विरुद्ध गणना नहीं की जाएगी।

राजकोषीय घाटे का वित्तीय संरचना*					
बाजार से उधार	(-)313.14	1,036.47	2,843.99	3,807.65	4,666.75
भारत सरकार से उधार	(-)85.15	(-)152.37	(-)134.50	(-)148.49	(-)18.79
एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	13.00	15.00	1.42	414.18	389.09
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)45.86	119.34	531.33	645.80	525.92
भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	383.80	(-)383.80
अन्य बचत, भविष्य निधि इत्यादि	307.76	293.47	265.40	443.83	514.30
जमा एवं अग्रिम	585.94	521.18	1,818.98	466.62	(-)69.54
उच्चता एवं विविध	1,758.77	(-)1,107.52	(-) 1,243.93	1,449.74	(-)1,823.27
प्रेषण	96.10	(-)264.11	(-) 98.03	193.52	11.94
अन्य ²¹	58.90	332.15	305.16	264.02	389.93
योग	2,376.32	793.61	4,289.82	7,920.67	4,202.53
समग्र आधिक्य (+) / घाटा (-)	1575.15	(-) 1861.53	(-) 767.46	(-) 87.60	(-)371.18
योग	801.17	2,655.14	5,057.28	8,008.27	4,573.71

*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही हैं।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त के तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा बाजार ऋण से राजकोषीय घाटे को अधिक से अधिक वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान, राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में इसका हिस्सा 102 प्रतिशत था।

1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे²² तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त पोषण में घाटा गुणवत्ता की कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उधार ली गई निधियों का वर्तमान में किस सीमा तक उपभोग किया गया है, को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटे का विभाजन (**तालिका 1.39**) यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.39: प्राथमिक घाटा/आधिक्य—कारकों का विभाजन

वर्ष	गैर— ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय ²³	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)	(₹ करोड़ में)
								1
2011–12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	5,721	392	
2012–13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	5,305	(-) 1,502	
2013–14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	2,191	(-) 3,709	
2014–15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281	
2015–16	46,367	41,552	7,075*	165	49,662	4,815	(-)2,425	

²¹ इसमें आकस्मिता निधि एवं आरक्षित निधि सम्मिलित है।

²² प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

²³ राज्य का प्राथमिक राजस्व व्यय ब्याज भुगतान का सकल शुद्ध व्यय, जो वर्ष के दौरान लेन देन पर होने वाले व्यय को इंगित करता है, के रूप में परिभाषित है।

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

*उदय योजना के अंतर्गत असमिलित राजस्व व्यय ₹ 870 करोड़

- गैर-ऋण प्राप्तियों में ₹ 19,211 करोड़ (70.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 27,156 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 46,367 करोड़ हो गया जबकि इसी अवधि में प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 22,898 करोड़ (85.56 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ ₹ 26,764 करोड़ से बढ़कर ₹ 49,662 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य के पास ₹ 392 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य था जो कि वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 1,502 करोड़ का प्राथमिक घाटे में तब्दील हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 6,281 करोड़ से घटकर ₹ 2,425 करोड़ हो गया। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

1.12 राज्य वित्त पर प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्त प्रतिवेदन, राज्य विधायिका में प्रस्तुत की जा रही है। इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में अभी भी चर्चा प्रारंभ किया जाना है।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, चौदहवें वित्त आयोग के 14.42 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 6.40 प्रतिशत रही।
- पिछले वर्ष के अपेक्षा राज्य के राजकोषीय स्थिति के प्रमुख मानदण्डों के संदर्भ में सुधार प्रदर्शित हुई है। चौदहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य बनाये रखना था। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व अधिक्य ₹ 2,367 करोड़ था जो कि 2014–15 के दौरान हुए ₹ 1,573 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है।
- वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा घटकर ₹ 4,574 करोड़ हो गया, जो 14वें वित्त आयोग के प्रावधानों, एफआरबीएम अधिनियम एवं बजट आंकलन के निर्धारित सीमा के अंदर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा वर्ष 2014–15 के 3.81 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 1.82 प्रतिशत हो गया, जो 14वें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य (3.50 प्रतिशत) के अन्तर्गत था।

शासन को चौदहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर राजस्व अधिक्य तथा राजकोषीय घाटा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

संसाधन की गतिशीलता

- वर्ष 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति (₹ 46,067.71 करोड़) 21.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान से ₹ 11,889 करोड़ से कम था।
- चालू वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 17,075 करोड़) बजट अनुमान (₹ 20,086 करोड़) से कम था। करेतर राजस्व भी बजट अनुमान से

₹ 3,448 करोड़ कम था।

- यद्यपि कुल कर राजस्व की राजस्व सकल घरेलू उत्पाद से प्रफुल्लता स्वस्थ प्रदर्शित थी, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रफुल्लता की प्रवृत्ति 2013–14 तक घटने की थी तथा उसके बाद 2014–15 एवं 2015–16 में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

शासन को बजट दस्तावेज में स्वयं के निर्धारित प्राप्तियों के लक्ष्यों मुख्यतः स्वयं के कर राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

व्यय प्रबंधन तथा राजकोषीय प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व व्यय निरंतर रूप से (84.35 प्रतिशत) कुल व्यय का प्रभावकारी घटक रहा। वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 15.33 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में सुधार है।

राज्य कुल व्यय के अनुपात में पूँजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करे जिससे वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए परिसंपत्तियों निर्मित की जा सके।

- मार्च 2016 के अंत तक राज्य सरकार ने ₹ 6,192.22 करोड़ का निवेश किया तथा ₹ 1,263.75 करोड़ बकाया ऋण तथा अग्रिमों की वसूली शेष था। वर्ष 2015–16 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः 0.09 प्रतिशत तथा 3.72 प्रतिशत मात्र था जबकि सरकार ने अपनी उधारियों पर 6.25 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। यह अवहनीय वित्तीय स्थिति की ओर अग्रेषित कर सकता है।

शासन को मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान न करने वाले संस्थानों/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाएँ

- 31 मार्च 2016 तक लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के 194 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 5,911.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

शासन को अपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पहल करना चाहिए जिससे कि आगे और समय एवं लागत बढ़ने से बचा जा सके।

दायित्वों का प्रबंधन

- चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 37,817 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 30,981 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.41 प्रतिशत) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.04 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय दायित्व का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में वृद्धि हुई थी जो कि एफआरबीएम अधिनियम एवं 14वें वित्त आयोग के द्वारा 13.73 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक था।

शासन को भविष्य में राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखना चाहिए।